कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0ब0–16/2017–378 दिनांक : 14/3/18

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत जिला स्तर/ राज्य स्तरीय प्रचार–प्रसार कार्य एवं कार्यशाला का आयोजन के लिए कुल **रू0 117.560 लाख (एक करोड़ सतरह लाख छप्पन हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–29/2017–49/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 09.03.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0–29/2017– 95/आ0 व0प0 दिनांक 12.03.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–60–प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 117.560 लाख (एक करोड़ सतरह लाख छप्पन हजार रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	17.560
विज्ञापन एवं प्रचार	19S240601101600328	100.000
कुल :–		**117.560**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601101600323 तथा 19S240601101600328 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

F:\DEVELOPMENT\2017-18\Allotment\OA\Publicity, Training & Research\S.O. 49 dt 09.03.2018 (7)\Publicity doc

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. प्रस्तावित कार्य जन संपर्क विभाग की अनुमोदित कार्य दर एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उन एजेंसी से करवाए जाएगें जो जन संपर्क विभाग में इन कार्यो को करने/करवाने के लिए सूचीबद्ध है।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना

संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–16/2017–**378 दिनांक– 14/3/18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–16/2017–**378 दिनांक– 14/3/18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2017-18\Allotment\OA\Publicity, Training & Research\S.O. 49 dt 09.03.2018 (7)\Publicity.doc

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रमण्डलवार/ कार्यालयवार प्रचार–प्रसार से संबंधित कार्यो का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि लाख रू0 में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कार्य विवरण	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रचार एवं विज्ञापन	कुल
i	ii	iii	iv	v
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची	Radio jokey special programme to engage random audience so as to build up a conscious momentum for environment conservation to be conducted in colleges, schools, marketing complex etc through FM stations like - 91.9 , 92.7 , 104.8, 106.4	0.000	9.990	9.990
	To sensitize the senior media personnel on issues of forest, wildlife and water conservation, including initiatives of the department in forest based livelihood, carbon sequestration etc through All major media house.	0.000	3.000	3.000
	Formation of eco – clubs, general awareness campaign, bio-quiz, sessions on forest conservation, fields visit of school and college students.	0.000	22.580	22.580
	Documentation (Photography, Videography & Printing) of natural resources and ecotourism infrastructure	0.000	15.000	15.000
	Outdoor media on World Forestry Day at Ranchi & Jamshedpur.	12.320	5.280	17.600
योग :–		**12.320**	**55.850**	**68.170**
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची	Making of capsules of 15 seconds duration to be included in - between two programmes, success stories of department, public opinion and awareness issues in popular TV news channels (ETv , Zee, News 11)	0.000	15.120	15.120
	Slogan writing on walls, stickers on auto rickshaw, cars, buses etc. Badges distribution in school and colleges	2.240	4.760	7.000
	To engage a consultant/ mass media interns for developing analytical stories news value.	0.000	2.000	2.000
	Designing and aggressive social media campaign through Twitter , Facebook , and other social media channels	0.000	22.270	22.270
	Purchase of Desk Top/ Electronic equipment/ Tables for publicity & design etc.	3.000	0.000	3.000
योग :–		**5.240**	**44.150**	**49.390**
सकल योग :–		**17.560**	**100.000**	**117.560**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-16/2017/378 दिनांक - 14-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	105353	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,232,000.00 रुपये बारह लाख बत्तीस हजार
2	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	105355	DRNFWL065 SRI K D P SAHU DFO.FOREST PUBICITY	524,000.00 रुपये पाँच लाख चौइस हजार
3	S 19 240601101600328 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 28 - विज्ञापन और प्रचार **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	105360	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	5,585,000.00 रुपये पचपन लाख पिचयासी हजार

योग: 7,341,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीहत्तर लाख इकतालीस हजार

(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL.PCCF(DEV) JHARKHAND
RANCHI

164.100.150.21

Run Date: 14/3/2018

पत्र संख्या - 01/YB-16/2017/378 दिनांक - 14-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101600328 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 28 - विज्ञापन और प्रचार **State Scheme** State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Centeral Scheme : NA	105361	DRNFWL065 SRI K D P SAHU DFO.FOREST PUBICITY	4,415,000.00 रुपये चवालीस लाख पंद्रह हजार

योग: 4,415,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड स त्र ह लाख छप्पन हजार 11,756,000.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PCCF(DEV)JHARKHAND

RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 14/3/2018